लोकसभा

By:- Karan Sir

लोकसभा का आशय

लोकसभा को लोगों का सदन या संसद का निचला सदन अथवा संसद का प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन है और समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

लोकसभा की संरचना

- लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।
- वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को भी नामित किया था, लेकिन 95वें संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था।

संसद की सदस्यता:

- लोकसभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
- लोकसभा सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान के माध्यम से घोषित करता है कि वह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा।
- उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएँ होनी चाहिये जो संसद ने कानून द्वारा निर्धारित की हैं और उसे भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।
- आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जिसके लिये भी आरक्षण लागू होता हो, से संबंधित होना चाहिये।

प्रतिनिधियों का चुनाव

- लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन, क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है।
- केंद्रशासित प्रदेश (लोगों के सदन का प्रत्यक्ष चुनाव) अधिनियम, 1965 के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

लोकसभा सदस्यों की अयोग्यताएँ:

संवैधानिक आधार पर:

- यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है (मंत्री या संसद द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य कार्यालय को छोड़कर)।
- यदि वह विकृत मानसिकता का है और अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
- यदि वह घोषित दिवालिया है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।
- यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है।
- वैधानिक आधार पर (जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951):
- यदि चुनाव में कुछ चुनावी अपराधों/भ्रष्ट आचरणों का दोषी पाया गया।
- किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया जिसके परिणामस्वरूप दो या अधिक वर्षों के लिये कारावास हो (निवारक निरोध कानून के तहत निरोध अयोग्यता नहीं है)।
- भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति वफादारी न करने के लिये सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो।
- विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वतखोरी के अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।
- अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार और अभ्यास के लिये दंडित किया गया हो।

लोकसभा कार्य

लोकसभा के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करना है, व्यक्तियों का एक समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिये मिलकर कार्य करता है।

लोकसभा शक्तियाँ

- संयुक्त बैठक से संबंधित शक्ति: किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाकर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अधिक संख्या में होने के कारण ऐसी बैठक में लोकसभा की राय प्रबल होने की संभावना है।
- धन विधेयक से संबंधित शक्ति: धन से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं। एक बार जब लोकसभा सरकार का बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है, तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा इसमें केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है, हालाँकि लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है।
- मंत्रिपरिषद से जुड़ी शक्ति: लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य मंत्रिपरिषद में 'अविश्वास' जाहिर करते हैं तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा।

कार्यकाल:

- लोकसभा: लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर पाँच साल की समाप्ति से पहले इसे भंग कर सकता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है लेकिन यह आपातकाल समाप्त होने के बाद छह महीने से अधिक नहीं होगा।

अधिकारी:

लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। लोकसभाध्यक्ष, लोकसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहता है, जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर एक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेता। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष (सदन द्वारा निर्वाचित) बैठकों की अध्यक्षता करता है।

लोकसभा और राज्यसभा में मध्य अंतर

- लोकसभा और राज्य सभा के मध्य कई आधारों पर अंतर किया जा सकता है जिसे एक तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है-

लोकसभा और राज्यसभा के मध्य अंतर

क्र. सं.	अंतर का आधार	लोकसभा	राज्यसभा
1.	सदन की स्थिति	लोकसभा लोगों का एक सदन है जिसमें देश के प्रशासन को लाभ पहुंचाने के लिए कई विधेयक और कानून पारित किए जाते है।	राज्यसभा ससंद का ऊपरी निकाय है, जो राज्यों के हितों की रक्षा करती है।
2.	सदन की अवधी	लोकसभा सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद लोकसभा स्थगित हो जाती है।	राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की होती है। हालाँकि प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के बाद इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत हो जाते है।
3.	सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया	जनता मतदान प्रक्रिया माध्यम से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है।	विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की सदस्यों द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुनती हैं।
4.	सीटों की संख्या	लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 550 होती हैं।	राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 तक होती हैं।
5.	सदस्यों की आयु	लोकसभा का प्रतिनिधि बनने के लिए व्यक्ति की न्यूतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।	राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु आवश्यक है।
6.	सदन का सभापति	लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है।	उपराष्ट्रपति राज्य सभा का प्रतिनिधित्व करता है।
7.	अधिकारों की तुलना	लोकसभा के पास अधिक अधिकार हैं।	राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना

लोकसभा, राज्यसभा से कहाँ-कहाँ अधिक शक्तिशाली है?

लोकसभा, राज्यसभा से निम्न स्थानों पर अधिक शक्तिशाली है-

- धन विधेयक को प्रस्तुत करने के संदर्भ में
- मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व
- संयुक्त अधिवेशन के सन्दर्भ में
- प्राक्कलन समिति के सन्दर्भ में

धन विधेयक को प्रस्तुत करने के संदर्भ में-

- धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
- राज्यसभा को यह शक्ति नहीं है कि वह धन विधेयक को अस्वीकृत करें धन विधेयक के संबंध में उसे केवल सिफारिशें करने की ही शक्ति है।
- लोकसभा अध्यक्ष को ही यह शक्ति है कि वह यह निश्चित करें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
- राज्यसभा को बहस करने की शक्ति है किंतु उसे लोक व्यय के लिए धन देने के लिए मतदान की शक्ति नहीं है।

मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व-

- अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिये लोकसभा के प्रति संयुक्त रुप से जिम्मेदार हैं।

संयुक्त अधिवेशन के सन्दर्भ में-

- संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन (108(4) आहूत करते हैं तो उस संख्या बल में कमी होने के कारण राज्यसभा अपेक्षातर निर्बल हो जाती है।

प्राक्कलन समिति के सन्दर्भ में-

- प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा (निचले सदन) से लिए गए हैं। इसका मतलब है कि राज्यसभा (उच्च सदन) से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रारंभ में, समिति में 25 सदस्य थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 कर दिया गया।

संसद की विधायी प्रक्रिया

- साधारण विधेयक
- धन विधेयक
- वित्त विधेयक
- संविधान संशोधन विधेयक

संसद में पेश किये गए विधेयकों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- **साधारण विधेयक:** वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित।
- **धन विधेयक:** कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित।
- **वित्तीय विधेयक:** वित्तीय मामलों से संबंधित (लेकिन धन विधेयकों से अलग हैं)।
- **संविधान संशोधन विधेयक:** संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित।

साधारण विधेयक-

- कानून की किताब में जगह पाने से पहले हर साधारण बिल को संसद में निम्नलिखित पाँच चरणों से गुजरना पड़ता है।
- **प्रथम वाचन:** इसे संसद के किसी भी सदन में या तो मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।बिल भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है।
- बिल का परिचय और राजपत्र में इसका प्रकाशन बिल का पहला वाचन है।
- **दूसरा वाचन:** यह विधेयक के अधिनियमन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है और इसमें तीन और उप-चरण शामिल हैं:
- सामान्य चर्चा का चरण: इस स्तर पर, सदन निम्नलिखित चार कार्यों में से कोई एक कर सकता है:
- यह बिल को तुरंत या किसी अन्य निश्चित तिथि पर विचार कर सकता है।
- वह विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज सकती है।
- यह विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज सकता है
- यह जनता की राय जानने के लिये विधेयक को परिचालित कर सकता है।
- **कमेटी स्टेज:** यह कमेटी बिल की पूरी तरह से और विस्तार से, प्रत्येक क्लॉज की जांच करती है।
- यह अपने प्रावधानों में संशोधन भी कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को बिना बदले।
- **विचार चरण:** सदन, चयनित समिति से विधेयक प्राप्त करने के बाद, खंड दर खंड विधेयक के प्रावधानों पर विचार करता है।
- प्रत्येक खंड पर अलग से चर्चा और मतदान किया जाता है।
- **तीसरा वाचन:** इस स्तर पर, बहस बिल की स्वीकृति या अस्वीकृति तक ही सीमित है।
- यदि उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य विधेयक को स्वीकार करते हैं, तो विधेयक को सदन द्वारा पारित माना जाता है।
- किसी विधेयक को संसद द्वारा तभी पारित माना जाता है, जब दोनों सदनों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सहमति हो जाती है।
- **द्वितीय सदन में विधेयक:** दूसरे सदन में भी विधेयक तीनों चरणों से होकर गुजरता है।
  - पहले सदन द्वारा भेजे गए बिल को पास करें (यानी, बिना संशोधन के)।
  - ऐसे मामले में बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिये भेजा जाता है।
  - विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करें और इसे पुनर्विचार के लिये पहले सदन में लौटा दें।
  - बिल को पूरी तरह से खारिज कर दें।
  - कोई कार्रवाई न करें और इस प्रकार बिल को लंबित रखें।
  - यदि दूसरा सदन बिल को पूरी तरह से खारिज कर देता है या छह महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है; एक गतिरोध उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसके लिये राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
- **राष्ट्रपति की सहमति:** संसद के दोनों सदनों द्वारा अकेले या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिये प्रस्तुत किया जाता है।
  - विधेयक पर अपनी सहमति दें।
  - विधेयक पर अपनी सहमति रोक लें।
  - सदनों के पुनर्विचार के लिये विधेयक वापस करें। इस प्रकार, राष्ट्रपति के पास केवल 'निलंबन वीटो' है।

धन विधेयक-

- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 110
- अध्यक्ष द्वारा सत्यापन: लोकसभा सत्यापित कृति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं।
- सदन जिसमें पेश किया जा सकता है: केवल लोकसभा में
- राज्यसभा में विधेयक: राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार नहीं सकती है।
- संयुक्त बैठक: कोई प्रावधान नहीं।

वित्त विधेयक

- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 117 (1), 117 (3)
- अध्यक्ष द्वारा सत्यापन: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
- सदन जिसमें पेश किया जा सकता है: वित्त विधेयक (1) केवल लोकसभा में जबकि वित्त विधेयक (सस) को किसी भी सदन में पेश किया जाता है।

- ❖ राज्यसभा में विधेयक: राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।
- ❖ संयुक्त बैठक: राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त विधेयक आयोजित किया जा सकता है।

संविधान संशोधन विधेयक

- ➢ भारत के संविधान के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक तीन प्रकार के हो सकते हैं जिसके लिये आवश्यक है:-
  - ❖ प्रत्येक सदन से पारित होने के लिये साधारण बहुमत।
  - ❖ प्रत्येक सदन से पारित होने के लिये विशेष बहुमत
  - ❖ उनके पारित होने और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसे पारित करने के आशय से प्रस्तावों द्वारा अनुसमर्थन के लिये एक विशेष बहुमत।
- ➢ जिस सदन में ये विधेयक पेश किये जाते हैं: अनुच्छेद 368 के तहत इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना है।
- ➢ संविधान संशोधन विधेयक (या धन विधेयक में) पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

दल-बदल अधिनियम

- ➢ 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता (क्पुनंसपलि) के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान में एक नयी अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया श्दल-बदल कानूनश कहा जाता है।

दल-बदल अधिनियम और वर्तमान परिदृश्य

दल-बदल विरोधी कानून के तहत विचार किए जाने वाले मामले-

कानून में एक सांसद या विधायक द्वारा राजनीतिक दलों को स्थानांतरित करने के संबंध में तीन परिदृश्य शामिल हैं।

- ➢ स्वैच्छिक रूप से हार- जब किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित सदस्य ष्स्वेच्छा से अपनी पार्टी को छोड़ देता हैष या पार्टी की इच्छाओं के खिलाफ सदन में मतदान करता है। तो ऐसे लोग अपनी सीट खो देते हैं।
- ➢ स्वतंत्र सदस्य- जब एक विधायक जिसने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी सीट जीती है, चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।तो विधायक किसी पार्टी में शामिल होने पर विधायिका में सीट खो देता है।
- ➢ मनोनीत सांसद- ऐसे मामलों में, कानून उन्हें नामित होने के बाद एक राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए छह महीने का समय देता है। अगर वे इतने समय के बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तो वे सदन में अपनी सीट खो देते हैं।

दल-बदल विरोधी कानून के तहत छूट प्राप्त मामलों में-

- ➢ 1985 के अधिनियम के अनुसार, एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों में से एक तिहाई द्वारा श्दलबदलश को विलय माना जाता था।
- ➢ लेकिन 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल दिया और अब दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है यदि एक राजनीतिक दल छोड़ने वाले विधायकों की संख्या विधायिका में पार्टी की ताकत का दो-तिहाई हिस्सा है। ये विधायक किसी अन्य पार्टी में विलय कर सकते हैं या विधायिका में एक अलग समूह बन सकते हैं।

दल-बदल विरोधी कानून में मौजूदा खामियां-

विलय की समस्या

- ➢ दो-तिहाई विलय प्रावधान गुप्त भ्रष्टाचार के लिए अनुमति देता है जहां उचित या बेईमानी के माध्यम से, बहुमत से कुछ अधिक बहुमत वाली सरकारों को गिराने का प्रयास किया जाता है।
- ➢ यह पूरे प्रावधान को अव्यावहारिक और असंवैधानिक बनाता है।
- ➢ मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य प्रान्तों में इस तरह का दुरुपयोग देखा गया है।

स्पीकर का विवेकाधिकार-

- ➢ ऐसी कई स्थितियाँ हैं जहाँ, पूर्व दृष्टया विलय के प्रावधान न होने पर भी, विधानसभा के अध्यक्ष कार्यवाही को लंबे समय तक रखते हैं ताकि उन पूर्व-दृष्टया दलबदलुओं के खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही समाप्त होने से पहले विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए।
- ➢ ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करने वाले वक्ताओं का प्रतीत होने वाला राजनीतिक पूर्वाग्रह इस बात से स्पष्ट है कि अयोग्यता याचिकाओं से कैसे निपटा जाता है।
- ➢ उदाहरण के लिए, मणिपुर में, कांग्रेस के सात विधायक 2017 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भाजपा में शामिल हो गए और उनमें से एक मंत्री भी बन गया। हालांकि, अध्यक्ष ने दो साल से अधिक समय तक मंत्री को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिकाओं पर कार्रवाई नहीं की।

अनुच्छेद 164 (1B) के साथ समस्याएं-

- ➢ यह निर्धारित करता है कि विधान सभा का एक सदस्य जो सदन का सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया गया है, उसे भी अपनी अयोग्यता की तारीख से मंत्री बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- ➢ कमी यह है कि कानून एक ऐसे विधायक जो दलबदल के कारण अयोग्य घोषित हो जाता है उसे मौजूदा विधानसभा की अवधि के दौरान फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है।
- ➢ फिर इस तरह की अयोग्यता का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह स्पष्ट रूप से एक प्रावधान है जो नैतिकता के सभी सिद्धांतों को पार करता है।

दल-बदल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले-

कर्नाटक विधायक मामला (2019): अदालत ने कहा कि-

- ❖ विधायक इस्तीफा देने के विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं, और अध्यक्ष के पास इस्तीफा अस्वीकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।
- ❖ अध्यक्ष इस्तीफे के मकसद की जांच नहीं कर सकते हैं और यह कहते हुए इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि यह राजनीतिक दबाव से बना है।

- ❖ अध्यक्ष केवल यह जांच कर सकता है कि क्या इस्तीफा 'वास्तविक' और 'स्वैच्छिक' था। 'वास्तविक' का अर्थ है यदि इस्तीफा पत्र प्रामाणिक है और जाली नहीं है।
- ❖ अदालत ने आगे कहा कि जब कोई सदस्य राजनीतिक दबाव पर इस्तीफा दे रहा है, तो वह अभी भी स्वेच्छा से ऐसा कर रहा है।
- ❖ अदालत ने 'हॉर्स ट्रेडिंग' की प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसने नागरिकों को स्थिर सरकारों से इनकार कर दिया और दसवीं अनुसूची को मजबूत करने का आह्वान किया।
- ❖ अध्यक्ष के पास विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक एक दोषपूर्ण सदस्य को अयोग्य ठहराने की कोई शक्ति नहीं है।

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष 2020-

- ➢ न्यायालय ने नोट किया कि जबकि संविधान या कोई अन्य कघनून एक सख्त समय अवधि निर्धारित नहीं करता है, एक स्पीकर अनिश्चित काल तक अयोग्यता याचिका पर नहीं बैठ सकता है। इस तरह की याचिका पर उचित समय के भीतर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।
- ➢ हालांकि, अदालत ने इस उदाहरण में एक कदम आगे बढ़ाया, और परिभाषित किया कि उचित समय से इसका क्या मतलब था, किसी भी असाधारण परिस्थितियों की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष के लिए याचिका पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की अवधि थी।

राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 का मामला-

- ➢ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अध्यक्ष किसी शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहता है, या बिना किसी निष्कर्ष के विभाजन या विलय के दावों को स्वीकार करता है, तो वह दसवीं अनुसूची के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है। उन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन भी माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्पष्टता की कमी-

- ➢ **किहोतो होलोहान मामले में,** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दसवीं अनुसूची सिद्धांतहीन दलबदल से निपटने का इरादा रखती है जो एक राजनीतिक और सामाजिक बुराई है। हालांकि, कुछ खामियां हैं जो दोषपूर्ण विधायकों को दूर करने की अनुमति देती हैं। एक तो इस्तीफे का वह रास्ता है जिसे अयोग्यता से बचने के लिए अपनाया जाता है।
- ➢ जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधायकों के मामले में कहा कि अध्यक्ष इस्तीफे के मकसद की जांच नहीं कर सकते हैं और इसे यह कहते हुए खारिज नहीं कर सकते कि यह राजनीतिक दबाव से बना है। इसलिए, विधायकों के खिलाफ कोई उपाय नहीं है जो केवल एक आकर्षक प्रस्ताव या किसी अन्य पार्टी से खतरे के कारण इस्तीफा देने का विकल्प चुनते हैं। न्यायालय का तर्क है कि इस तरह के राजनीतिक दबाव के कारण भी इस्तीफा स्वैच्छिक माना जाना है, समस्याग्रस्त है। 'स्वैच्छिक' को दी गई इस व्याख्या को फिर से देखने की आवश्यकता हो सकती है।
- ➢ कर्नाटक के विधायकों के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के पास विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक एक दोषपूर्ण सदस्य को अयोग्य ठहराने का कोई अधिकार नहीं है। इससे लोकतंत्र का मजाक बन सकता है, क्योंकि दोषपूर्ण सदस्य एक अलग राजनीतिक टिकट पर एक ही विधानसभा में लौट सकते हैं। यह राजनीतिक अवसरवादियों और टर्नकोट के लिए प्रीमियम देता है।

दल-बदल अधिनियम और संविधान संशोधन

- ➢ दल-बदल विरोधी कानून एक उचित सुधार था लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून की मारक क्षमता को कम कर दिया। जो दल-बदल पहले एकल होता था अब सामूहिक तौर पर होने लगा। अत: वर्ष 2003 को संसद को 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल-बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया।

संविधान का 91वां संशोधन

- ➢ इस संशोधन के जरिये मंत्रिमंडल का आकार भी 15 फीसदी सीमित कर दिया गया। हालाँकि, किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
- ➢ इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि एक-तिहाई सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे।

दल-बदल अधिनियम बिहार परिदृश्य :

1. जनता दल यूनाइटेड के 4 विधायक का बीजेपी में विलय (मणिपुर में)
2. **AIMIM** के 5 में से 4 विधायक का राजद में विलय
3. लोजपा के विधायक का टूटना (पुराना रामविलास दाल और नई रामविलास पार्टी का बनना)
4. मुकेश साहनी के 4 विधायक का बीजेपी में विलय

संसद की संप्रभुता

संसदीय संप्रभुता क्या है?

- ➢ संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति है।
- ➢ ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है, इसके प्रभाव एवं न्यायक्षेत्र पर वहां कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है।
- ➢ अत: संसद की संप्रभुता (संसदीय सर्वोच्चता) ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। ब्रिटिश न्यायवादी ए.वी. डायसी के मतानुसार इस सिद्धांत के तीन अनुप्रयोग हैं-

1. संसद किसी कानून को संशोधित प्रतिस्थापित या विधि को निरसित कर सकती है। ब्रिटिश राजनीति विश्लेषक डी. लोल्मे कहते हैं, ब्रिटिश संसद एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है।

2. संसद संवैधानिक कानूनों को उसी प्रक्रिया की तरह बना सकती है जैसे साधारण कानून। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश संसद में सांविधिनिक प्रभाव एवं विधिक प्रभाव में कोई अंतर नहीं है।
3. संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती जिससे वह असंवैधानिक हो जाए। दूसरे शब्दों में, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद के मध्य तुलना

- भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद के मध्य निम्नलिखित आधारों पर तुलना कर सकते हैं जिसे एक तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है-

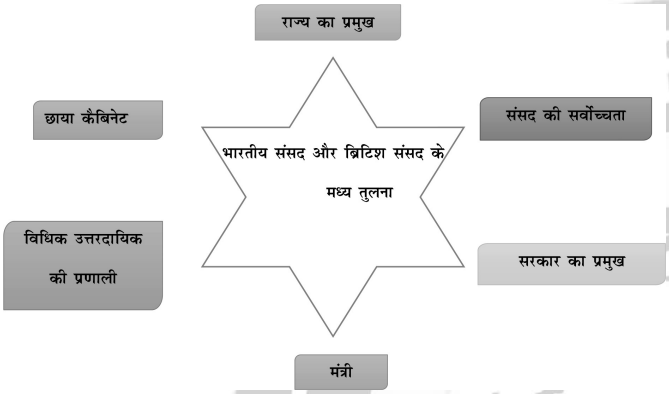

- **राज्य का प्रमुखः** भारत में ब्रिटिश की राजतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर एक गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य के प्रमुख (राजा या रानी) को वंशानुगत पद प्राप्त होता है।
- **संसद की सर्वोच्चताः** ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और यहाँ लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा एवं मौलिक अधिकारों के कारण इसे सीमित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- **सरकार का प्रमुखः** ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना चाहिये। भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है।
- **मंत्रीः** आमतौर पर ब्रिटेन में केवल संसद सदस्यों को ही मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे भी अधिकतम छह महीने की अवधि के लिये मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- **विधिक उत्तरदायित्व की प्रणालीः** ब्रिटेन में मंत्री की विधिक जिम्मेदारी की व्यवस्था है जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के आधिकारिक कृत्यों पर प्रतिहस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **छाया कैबिनेटः** यह ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अद्वितीय संस्था है। इसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रिस्तरीय कार्यालय के लिये तैयार करने हेतु किया जाता है। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है।

संसदीय संप्रभुता को सिमित करने वाले तत्व

भारतीय संसद की संप्रभुता को सिमित करने वाले तत्व निम्नलिखित प्रकार के है जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है

संविधान की लिखित प्रकृति

- हमारे देश का संविधान मूलभूत विधि है। इसमें संघ सरकार के तीनों अंगों के लाभ क्षेत्र, प्रभाव एवं उनके आपस में संबंधों को परिभाषित किया गया है। इस तरह संविधान से इतर संसद के पास क्रियान्वयन को कुछ नहीं है। यही नहीं, कुछ संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति भी जरूरी होती है। ब्रिटेन में न तो संविधान लिखित में है और न ही वहां कोई मूलभूत विधि है।

न्यायिक समीक्षा

- न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की स.वैधानिकता की जाँच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। न्यायिक समीक्षा के दो महत्त्वपूर्ण कार्य हैं,
  - सरकारी कार्रवाई को वैध बनाना
  - सरकार द्वारा किये गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना।

इस प्रकार न्यायिक समीक्षा संसद की संप्रभुता को सिमित करती है।

संघीय व्यवस्था

संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को

साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। इस प्रकार शक्ति के विभाजन के फलस्वरूप संसद की संप्रभुता को सीमित करती है।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कम करता है। उल्लंघन की स्थिति में इसे न्यायलय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायलय की शरण में जा सकता है जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ एवं उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार मौलिक अधिकार भी संसद की संप्रभुता को सिमित करती है।

69 वीं मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्नः-

(1) भारतीय संसद, राष्ट्रीय विकास का केन्द्र हैं, विवेचना कीजिए

(2) वर्तमान में राज्यसमा की घटती लोकप्रियता के क्या कारण है?

(3) दल बदल अधिनियम क्या है? इससे कैसे जनता के हित प्रभावित होते है?

(4) भारतीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से कैसे भिन्न है ?

(5) संसदीय संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद में

इसके परिदृश्य में तुलना कीजिये ? संसदीय संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्वों की उदाहरण सहित व्याख्या करें।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

संघीय व्यवस्था
(Fedral System)

संघीय व्यवस्था क्या है?

- संघवाद(फेडरेशन) लैटिन शब्द 'फोएडस (Foedu)' से लिया गया है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता जहाँ कई सारे छोटे-छोटे स्वतंत्र प्रांतों एवं राज्यों द्वारा अपनी सहमति से एक बड़े शक्तिशाली संघ के साथ मिलकर एक बड़े देश का निर्माण किया जाता है, जिसकी सम्प्रभुता की गरिमा को बनाये रखना सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, जिसे संघीय व्यवस्था कहतें हैं।

संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है।

संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिआई संघीय प्रणाली समझौते पर आधारित है लेकिन हमारी भारतीय संघीय प्रणाली कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, जो विनाशकारी राज्यों के साथ गैर-विनाशकारी संघ की निति को स्वीकार करती है।

संघीयसरकार और एकात्मक सरकार में अंतर-

- संघीयसरकार तथा एकात्मक सरकार के मध्य कई आधारों पर अंतर किया जा सकता हैं जिसे एक तालिका के मध्य दर्शाया गया है-

संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर			
क्र. सं.	**अंतरों का आधार**	**संघात्मक**	**एकात्मक**
1.	सत्ता का विभाजन	सत्ता का बंटवारा केंद्र और साझा सरकारों के बीच होता है।	सत्ता का कोई पदानुक्रम मौजूद नहीं हैं।
2.	काननू पारित करने का आधार	केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए कानून पारित करने की शक्ति रखती है।	राज्य सरकारों के पास अलग-अलग कानून पारित करने का अधिकार नहीं है।
3.	शक्तियों का निहित होना	राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर साझा शक्तियाँ।	शासन की एक केंद्रीय प्रणाली सारी शक्ति रखती है।
4.	सत्ता का स्रोत	राज्य और केंद्र स्तर पर सत्ता के विभित्र स्तर हैं।	शक्ति का स्रोत एक एकल केंद्र सरकार है जो देश के कानूनों को पारित करने और देश में कानून और व्यवस्था की देखभाल के लिए जिम्मेदार है।
5.	उदहारण वाले देश	भारत, स्विट्जरलैंड, कनाडा	चीन, यूके, श्रीलंका।

भारतीयसंविधान की संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं

- भारतीय संविधान की संघीय एवं एकात्मक विशेषताओं को एक तालिका के माध्यम से दर्शाया गया-

भारतीयसंविधान की संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं		
क्र. सं.	**भारतीय संविधान की संघीय विशेषता**	**भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता**
1.	शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	एकल नागरिकता
2.	संविधान की सर्वोचता	सशक्त केंद्र
3.	दोहरी सरकार	राज्य अनवश्वर नहीं
4.	कठोर संविधान	केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
5.	स्वतंत्र न्यायपालिका	एकल संविधान
6.	द्विसदनीय शासन व्यवस्था	संविधान का लचीलापन

7.	लिखित संविधान	राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव
8.	द्वैध राजपद्धती	आपातकालीन उपबंध
9.	द्विसदनीय	एकीकृत न्यायपालिका
10.		अखिल भारतीय सेवाएँ
11.		एकीकृत लेखा जाँच मशीनरी
12.		राज्य सूचीं पर संसद का प्राधिकार
13.		एकीकृत निर्वाचन मशीनरी
14.		राज्यों के विधेयकों पर वीटो

व्यवस्था का महत्त्व-

- **मजबूत केंद्र**-भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को राज्यों के मुकाबले अधिक शक्तियां प्रदान की गयी हैं, जिसके कारण राज्य बहुत सी चीजों में अपनी सहमति नहीं प्रदान कर पाता है।
- **राज्यसभा में राज्यों को सामान प्रतिनिधितव नहीं**-हमारे देश में संविधान के **अनुसूची-IV** में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, जिसमे राज्यों को समान सीटों का प्रतिनिधित्व ना देकर जनसँख्या के आधार पर सीटों का बटवारा किया गया है।
- **आपातकालीन प्रावधान**-भारत में आपातकाल की स्तिथि उत्पन्न होने के वक्त संघीय व्यवस्था स्थगित हो जाती है, जिसके कारण केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जातें हैं।
- **केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति**-इसके कारण संघीय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है क्यूंकि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करने पर राज्य पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ रहती है।
- **समवर्ती सूचि पर केंद्र का दबदबा**-समवर्ती सूचि के भीतर सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए कोई भी (केंद्र अथवा राज्य) कानून और नीतियां तैयार कर सकता है लेकिन अगर किसी विशिष्ट श्रेणी पर दोनों के द्वारा कानून या निति तैयार किया जाता है तो उस स्तिथि में केंद्र की निति या कानून मान्य होगी राज्य की नहीं।

संघीय व्यवस्था की आलोचनात्मक मूल्यांकन-

- वास्तव में, यह स्पष्ट है कि भारत के संविधान मेंअमेरिकाऔर ऑस्ट्रेलिया जैसे पारंपरिक संघीय गुटों को शामिल किया गया है और बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर-संघीय संगठनों को शामिल किया गया है, जिससे शक्ति संतुलन केंद्र के पक्ष में शामिल हो गया है। वस्तुत:विद्वानों के लिए,भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार, **के.सी. व्हेअर** ने भारत के संविधान को ''अर्ध-संघीय'' बताया। उन्होंने टिप्पणी की कि "भारतीय संघ सहायक संघीय किराये वाला संघीय राज्य के बजाय सहायक संघीय किराये वाला एक संघीय राज्य है।

  के. संथानम के अनुसार संविधान में एकात्मक पूर्वाग्रह (केंद्रवाद की प्रवृत्ति) को बढ़ाने के लिए ये **दो कारक** जिम्मेदार हैं।

(i) वित्तीय क्षेत्र में केंद्र का प्रभुत्व और अनुदान राज्यों की शुरुआत; और

(ii) एक शक्तिशाली योजना आयोग द्वाराराज्यों में विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की प्रक्रिया। उन्होंने कहा: "भारत ने एक संघ के रूप में एक लोकतांत्रिक और कानूनी रूप से कार्य करने का प्रयास किया है, हालांकि संघ और राज्यों ने एक संघ के रूप में एक लोकतांत्रिक और कानूनी रूप से कार्य करने का प्रयास किया है।

- हालाँकि, ऐसे अन्य राजनीतिक वैज्ञानिक भी हैं जो उनके मत से सहमत नहीं हैं। इस प्रकार, पॉल एपल्बीने भारतीय प्रणाली को **'अत्यंत संघीय'** कहा है, मॉरिस जोन्स ने इसे ष्सौदेबाजी वाला संघष् कहा है, आइवर जेनिंग्स ने इसे एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और विकास को भारतीय संविधान के साथ अद्वितीय सुरक्षा उपायों के लिए लागू करना मुख्य रूप से संघीय है। अलेक्जेंड्रोविक्ज ने कहा कि **"भारत**
- एक केस सुई जेनेरिस (यानि, चरित्र में अनोखा) है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को **'सहकारी संघवाद'** कहा। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत के संविधान ने एक मजबूत केंद्र सरकार बनाई है, लेकिन कृषि क्षेत्र के किसानों को कमजोर नहीं बनाया है और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए शैक्षिक स्तर तक कम नहीं किया गया है। उन्होंने भारतीय विद्वानों को भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए प्रकार के अर्थशास्त्र के बारे में बताया।
- भारतीय संविधान की प्रकृति पर, डॉ. बी. आर. अम्बेडकरने संविधान सभा में निम्नलिखित टिप्पणी की: संविधान एक संघीय संविधान है क्योंकि यह द्विपीय राजनीति स्थापित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ एक संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ नहीं है, न ही राज्य संघ की कंपनियां हैं, जो इसकी शक्तियां प्राप्त कर रही हैं। संघ और राज्य दोनों का निर्माण संविधान द्वारा किया गया है, दोनों को अपना-अपना अधिकार संविधान से प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा: फिर भी संविधान संघ के ठोस निरपेक्ष से बचता है और समय और सैंडविच की आवश्यकताओं के अनुसार एक सैद्धांतिक

और संघीय बंधन हो सकता है। संविधान में अति-केंद्रीकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, इस आधार पर एक गंभीर याचिका दायर की गई है कि बहुत अधिक केंद्रीकरण हो गया है और राज्यों को नगर पालिकाओं में बदल दिया गया है।

- 'यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण केवल अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत भी इस पर आधारित है कि संविधान वास्तव में क्या करने का प्रयास करता है। जहां तक केंद्र और राज्य के बीच की बात है तो उस रसायन सिद्धांत पर ध्यान देना जरूरी है जिस पर यह आधारित है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और कार्यकारी प्राधिकरण का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा किया जाता है। संविधान यही करता है. राज्य को किसी भी तरह से केंद्र पर अपने हस्ताक्षर या कार्यकारी अधिकार की अनुमति नहीं है। इस मामले में राज्य और केंद्र बराबर हैं। यह दस्तावेज कठिन है कि ऐसे संविधान को कैसे कहा जा सकता है। इसलिए, यह कहना गलत है कि राज्य को केंद्र में रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से इस डिविजन की सीमा में बदलाव नहीं कर सकता। न ही प्रमाणित किया जा सकता है"।
- **बोम्मई मामले (1994)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संघीय है और संघवाद को श्बुनियादी संविधानश के रूप में वर्णित किया गया है: तथ्य यह है कि हमारे संविधान की योजना के तहत, केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है - राज्यों की तुलना का मतलब यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के उपांग हैं । अन्य पोलैंड केंद्रों द्वारा अपनी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है या उन पर आक्रमण किया गया है, इस संविधान को संघीय विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है। वे अपवाद हैं और अपवाद कोई नियम नहीं हैं। बताएं कि भारतीय संविधान में संघवाद श्वैश्विक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि सिद्धांत-हमारी अपनी प्रक्रिया का परिणाम और जमीनी हकीकत की पहचान है।

(i) शक्तियों का सामान्य विभाजन जिसके अंतर्गत राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है; और

(ii) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अखंडता और एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्देशन में इसकी संघीय भावना को प्रभावित किया जाता है-

(i) राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद, उदाहरण के लिए, बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच

(ii) नदी जल को लेकर कर्नाटक के बीच विवाद, उदाहरण के लिए, कावेरी जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच

(iii) क्षेत्रीय आश्रमों का उदय और आंध्र प्रदेश, तमिल आदि राज्यों में उनकी सत्ता में आना

(iv) क्षेत्रीय द्वीपों को पूरा करने के लिए नए राज्यों का निर्माण, उदाहरण के लिए, मिजोरम या झारखंड

(v) राज्य द्वारा अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय अनुदान की मांग

(vi) राज्य द्वारा स्वामित्व का दावा और केंद्र के हस्तक्षेप के प्रति उनके प्रतिरोध

(vii) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र द्वारा आवंटन **356** (**राज्यों में राष्ट्रपति शासन**) के उपयोग पर कई प्रक्रियात्मक अंत:क्षेपण चलते हैं।

69 जी मुख्य परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

1. भारतीय संविधान को अर्द्ध संघीय क्यों कहा जाता है परीक्षण कीजिए।
   Examine why the Indian Constitution is called quasi federal
   -(BPSC] 39th)
2. भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवत्तियों का विश्लेषण कीजिए ।
   Analyze the emerging trends in Indian Federalism-
   -(BPSC] 41th)
3. भारतीय संघ व्यवस्था में सामयिक प्रचलनों की व्याख्या करें। क्या राज्यों को अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है?
   Explain the contemporary trends in the Indian federal system- Do states need more autonomy?
   -(BPSC] 48-52nd)
4. 'भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केन्द्र सरकार की ओर उन्मुख है।' व्याख्या कीजिए।
   Indian federal structure is constitutionally oriented towards the Central Government- Explain
   -(BPSC] 66th)